

फर्द अहकाम

नियम-20

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या -डिकी 253/2025

शिवलाल विरूद्ध राधाकिशन

154/512

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण न्यायालय नं. 2263/2025

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर/तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
10.12.2025	<p>श्री जगदीशचन्द्र जोशी अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित आक्षेपाधीन अपील दर्ज की जायें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जायें । तत्पश्चात बहस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई । मैंने अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पर एक तरफासुनी और पत्रावली का अवलोकनकिया गया न्यायहित मे स्थगन दिया जाना में उचित समझता हुं ।</p> <p>अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन को आदेश दिया जाता हैकि वह इस मामले में आपके प्रकरण संख्या 54/2023 वाद में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 6.12.2024 में वर्णित विवादग्रस्त आराजियात की रेस्पोंडेन्ट के जवाब तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखी जायें ।</p> <p>नोटीस रेस्पोंडेन्ट के जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 16.1.2026 को पेश हो ।</p>	



भाष्यत प्रातः 10.12.2025
रीडर
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़, (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़